कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

कमांक : 55A   दिनांक : 19.6.2020

–: कार्यालय आदेश :–

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.06.2020 के द्वारा जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र का जयपुर महानगर–प्रथम व जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्रों में विभाजन होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल कोर्ट ऑडिनेन्स, 1950 की धारा 7(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में पूर्व आदेशो को अतिलंघित करते हुए आदेश दिया जाता है कि जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र में निम्न मुख्यालयों पर स्थित निम्नांकित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों में उनके सम्मुख कॉलम सं. 3 में अंकित क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण (धन सम्बन्धी अधिकारिता के अध्यधीन रहते हुए) सीधे प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(A)जयपुर मुख्यालय

क–(चौमूं व आमेर मुख्यालय स्थित न्यायालयों को प्रदत्त किए गए क्षेत्राधिकार के अलावा पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर की सीमाओं में आने वाला क्षेत्र)

कम सं.	न्यायालय का नाम	नाम पुलिस थाना/क्षेत्र जिसका स्थानीय क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
1	2	3
1	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 1, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र आमेर को छोडकर पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर महानगर के क्षेत्राधिकार में आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
2	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 2, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र चौमू व हरमाडा को छोडकर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) जयपुर महानगर के क्षेत्राधिकार में आने वाले आरक्षी केन्द्रो की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
3	न्यायालय सिविल न्यायाधीश, (पश्चिम) जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र विश्वकर्मा, मुरलीपुरा, झोटवाडा, विद्याधर नगर, करधनी व कालवाड की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
4	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, (उत्तर) जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र ब्रह्मपुरी, नाहरगढ, गलता गेट, शास्त्री नगर व सुभाष चौक की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
5	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, संख्या–01, जयपुर महानगर–द्वितीय	पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर जयपुर महानगर के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से संबंधित ऐसे दीवानी मामले, जिनमें नगर निगम जयपुर पक्षकार है व जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के जयपुर मुख्यालय से संबंधित है।

Scanned with CamScanner

6	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 02, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र जालूपुरा, कोतवाली, माणक चौक, संजय सर्किल व रामगंज की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
7	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 03, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र बनीपार्क, सदर, सिंधी कैंप, भट्टा बस्ती व वैशाली नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
8	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 04, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र चित्रकूट, करणी विहार, सेज, बगरू व भांकरोटा की पुलिस उपायुक्त पश्चिम के क्षेत्र से संबंधित सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण

ख– राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत निम्नांकित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय में कॉलम सं. 3 में अंकित क्षेत्र की सीमा से संबंधित अर्जियां एवं मामलें प्रस्तुत किए जाएंगे :–

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार, जो प्रदत्त किया गया है
1	2	3
1.	किराया अधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के तहत आने वाले पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर की सीमाओं से संबंधित नगर पालिका क्षेत्र।

(B). <u>मुख्यालय चौमूं</u>

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर–द्वितीय	1. आरक्षी केन्द्र हरमाडा व चौमूं की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण 2. चौमूं मुख्यालय पर स्थित जयपुर महानगर–द्वितीय की अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध दीवानी प्रकरणों से संबंधित अपीलें, निगरानी व मुत् प्रकरण आदि।
2	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र हरमाडा व चौमूं की सीमा में उत्पन्न होने वाली दीवानी प्रकरण

Scanned with CamScanner

3	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 17, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र हरमाडा व चौमूं की सीमा में उत्पन्न होने वाली दीवानी प्रकरण

(C). <u>मुख्यालय आमेर</u>

कम सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 8, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र आमेर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
2.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 18, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र आमेर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण

नोट :–

1. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
2. इस आदेश द्वारा जयपुर महानगर द्वितीय के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर, जयपुर महानगर की सीमाओं में आने वाले स्थानीय क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

कमांक : 55A   दिनांक : 19/6/20

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/जयपुर जिला, जयपुर
4. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
5. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र
6. अध्यक्ष दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर
7. अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, चौमूं/आमेर
8. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा
9. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

Scanned with CamScanner